

UPKS060005332013



**न्यायालय सिविल जज( क० श्रे०) त्वरित न्यायालय-II, कौशाम्बी**  
**उपस्थित- शिवेन्द्र शर्मा (उ०प्र० न्यायिक सेवा)**  
**मूल वाद संख्या- 376/2013**

1. जवाहर लाल उम्र लगभग 53 वर्ष पुत्र शिवराम

2. सन्तोष कुमार उम्र 50 वर्ष पुत्र शिवराम

निवासीगण ग्राम चिकवन का पूरा मजरा कसिया परगना व तहसील चायल जनपद कौशाम्बी हाल मुकाम मूरतगंज परगना व तहसील चायल जनपद कौशाम्बी।

... .. वादीगण

*बनाम*

श्रीमती सावित्री देवी उम्र 65 वर्ष पत्नी मकखनलाल निवासिनी भरवारी रोड मूरतगंज परगना व तहसील चायल जनपद कौशाम्बी। प्रतिवादी

... ..प्रतिवादिनी

**:-निर्णय:-**

1. वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद प्रतिवादिनी के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु योजित किया है।

2. संक्षेप में वाद कथानक इस प्रकार है कि वादीगण वर्तमान समय में ग्राम मूरतगंज परगना व तहसील चायल जनपद कौशाम्बी में निवास करते हैं। वादीगण आराजी संख्या 417 मि० रकबा 0.0070 हे० व आराजी संख्या 419 मि० रकबा 0.0030 हे० स्थित ग्राम पल्हाना उपरहार परगना व तहसील चायल जनपद कौशाम्बी के संक्रमणीय भूमिधर मालिक, स्वामी, काबिज व दखील हैं। आराजी संख्या 417 मि० रकबा 0.0070 हे० व आराजी संख्या 419 मि० रकबा 0.030 हे० स्थित मौजा पल्हाना उपरहार परगना व तहसील चायल जनपद कौशाम्बी खाली प्लाट के रूप में पड़ा हुआ है जिसके मालिक व स्वामी वादीगण हैं। प्रतिवादिनी का उपरोक्त आराजी से कभी कोई वास्ता व सरोकार कब्जा दखल नहीं था और न आज ही है। वादीगण का उक्त आराजी आबादी में स्थित होने के कारण प्रतिवादिनी उक्त आराजी खरीदने हेतु दबाव बना रही थी। वादीगण ने विक्रय करने से मना कर दिया। दिनांक 26.05.2013 को प्रतिवादिनी असमाजिक तत्वों को इकट्ठा करके वादीगण की उक्त भूमिधरी भूमि पर निशान आदि लगाकर नींव खोदने का प्रयास किया। वादीगण को जैसे ही जानकारी

हुई वादीगण ने मौके पर पहुंचकर विरोध किया तथा गांव के तमाम लोगों को इकट्ठा हो जाने पर प्रतिवादिनी झगड़े फसाद पर आमादा हो गयी। प्रतिवादिनी ने धमकी देते हुए कहा कि इस भूमि पर एक न एक दिन कब्जा करेंगे। वाद का कारण दिनांक 26.05.2013 को जब प्रतिवादिनी अपने मेली मददगारों के साथ वादीगण की भूमिधरी आराजी संख्या 417 मि० व 419 मि० में नींव खोदने व निशान लगाने का प्रयास किया तब उत्पन्न हुआ है। वाद का कारण न्यायालय के सीमान्तर्गत उत्पन्न हुआ है जो बराबर जारी है तथा न्यायालय को उपरोक्त वाद की सुनवाई व निस्तारण का पूर्ण क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

3. वादीगण द्वारा याचना की गयी कि न्यायालय द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा आदेश डिक्री प्रतिवादिनी एवं उसके परिवारीजनों मेली मददगारो एजेन्टो आदि को मना कर दिया जाये कि वादीगण की भूमिधरी आराजी सं० -417 मि० रकबा 0.0070 हे० व आराजी सं० 419 मि० रकबा 0.0030 हे० स्थित ग्राम पल्हाना उपरहार, परगना व तहसील चायल जनपद कौशाम्बी में अवैध ढंग से कब्जा न करें और न ही अवैध ढंग से कोई निर्माण करें और न ही वादीगण के शांतिपूर्ण कब्जा व दखल उपयोग व उपभोग में कोई हस्तक्षेप व मदालखत करें और न मौके की नवैयत परिवर्तित करें।

4. प्रतिवादिनी की ओर से अपना जबावदावा कागज संख्या 12 क दाखिल कर वादपत्र के कथनों से इंकार करते हुए अतिरिक्त कथन किया गया कि प्रतिवादिनी ने आराजी सं० 417 अ रकबा 0.080 हे० में से 44.80 वर्गमीटर जो उत्तर से दक्षिण 60 फिट लम्बा तथा पूरब से पश्चिम 8 फिट चौड़ा है स्थित मौजा पल्हाना उपरहार परगना व तहसील चायल जनपद कौशाम्बी का पंजीकृत बैनामा कराया है जिसकी चौहददी पूरब मोल्हड का मकान, पश्चिम गुलाब सोनी का मकान उत्तर महमूद हुसैन का मकान, दक्षिण मूरतगंज भरवारी रोड है। बैनामा दिनांक 24.01.2013 को उपनिबन्धक चायल कौशाम्बी के कार्यालय में प्रतिपुस्तक संख्या 1 के खण्ड सं० 813 के पृष्ठ संख्या 41-68 क्रमांक 182/2013 पर पंजीकृत है। प्रतिवादिनी का क्रयशुदा भूमि पर बैनामा की तिथि से कब्जा व दखल है। राजस्व अभिलेखों में भी प्रतिवादिनी का नाम दर्ज हो चुका है। वादीगण ने प्रतिवादिनी को परेशान करने की नियत से झूठा मुकदमा दाखिल किया है। आराजी संख्या 417 का कुल रकबा 16 बिस्वा 10 धूर है और मिनजुमला नंबर होने के कारण कई खातों में दर्ज है जिसमें आबादी व शामिल जोत सम्मिलित है। आराजी सं०-419 मि० सड़क पटरी दर्ज है और मौके पर कोई भूमि नहीं है। दावा वादीगण आदेश 7 नियम 3 जा०दी० से बाधित है। वादग्रस्त भूमि काबिले शिनाख्त नहीं है। दावा आदेश 7 नियम 11 जा०दी० से बाधित है। दावा धारा 34 व 41 विशिष्ट अनुतोष से बाधित है। वादग्रस्त भूमि पर

वादीगण का कोई कब्जा व दखल नहीं है। प्रतिवादिनी सदभावी क्रेती है और वादग्रस्त आराजी पर उसका विधिपूर्ण कब्जा व दखल है। अतः दावा वादीगण निरस्त होने योग्य है।

5. न्यायालय द्वारा उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर दिनांक 25.01.2017 को निम्नलिखित वाद बिन्दु विरचित किया गया:-

1. क्या वादपत्र के अभिकथनों के आधार पर वादीगण विवादित सम्पत्ति के मालिक काबिज व दखील है?
2. क्या वाद का मूल्यांकन कम किया गया है तथा क्या प्रदत्त न्यायशुल्क अपर्याप्त है?
3. क्या वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय को प्राप्त नहीं है?
4. क्या दावा वादी आदेश 7 नियम 3 सी०पी०सी० के प्राविधानों से बाधित है?
5. क्या दावा वादी आदेश 7 नियम 11 जा०दी० से बाधित है?
6. क्या दावा वादी धारा 34 व 41 विनिर्दिष्ट अनुतोष के प्रावधानों से बाधित है?
7. क्या वादीगण किसी अन्य अनुतोष को पाने के अधिकारी हैं?
6. वादीगण की तरफ से मौखिक साक्ष्य में पी०डब्लू०-1 के रूप में जवाहरलाल का साक्ष्य शपथपत्र 14 क, पी०डब्लू०-2 आशीष कुमार का साक्ष्य शपथपत्र 17 क व पी० डब्ल्यू-3 सुभाषचन्द्र का साक्ष्य शपथपत्र 18 क दाखिल किया गया तथा उक्त साक्षीगण से प्रतिपरीक्षा प्रतिवादिनी द्वारा की गयी है।
7. वादीगण द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में सूची 8 ग से उद्धरण खतौनी व खसरा दाखिल किया गया है।
8. प्रतिवादिनी की तरफ से सूची गवाहान 19 ग प्रस्तुत किया गया है। जिसके अनुसार प्रतिवादिनी की ओर से मौखिक साक्ष्य में डी०डब्लू०-1 मखनलाल का साक्ष्य शपथपत्र 20 क व डी०डब्लू०-2 सुशील कुमार का साक्ष्य शपथपत्र 21 क दाखिल किया गया तथा साक्षी डी०डब्लू०-1 मखनलाल से वादी द्वारा प्रतिपरीक्षा की गयी है।
9. प्रतिवादिनी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में कोई भी प्रलेख दाखिल नहीं किया गया है।
10. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्यों का सम्यक रूप से अवलोकन किया।

**:- निष्कर्ष:-**

**निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 1-**

11. वाद बिन्दु संख्या-01 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या वादपत्र के अभिकथनों के आधार पर वादीगण विवादित सम्पत्ति के मालिक काबिज व दखील है?

12. उक्त वाद बिन्दु को साबित करने का भार वादीगण पर है। वादीगण द्वारा यह अभिकथन किया गया है कि वादीगण आराजी संख्या 417 मि० रकबा 0.0070 हे० व आराजी संख्या 419 मि० रकबा 0.0030 हे० स्थित ग्राम पल्हाना उपरहार परगना व तहसील चायल जनपद कौशाम्बी के संक्रमणीय भूमिधर मालिक व स्वामी काबिज दखील है। प्रतिवादिनी का उपरोक्त आराजियों से कोई वास्ता व सरोकार नहीं है। वादीगण द्वारा आराजी संख्या-417 मि० रकबा 0.0070 हे० व आ०सं० 419 मि० रकबा 0.0030 हे० स्थित ग्राम पल्हाना उपरहार, परगना व तहसील चायल जनपद कौशाम्बी में प्रतिवादिनी के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष यचित किया गया है।

13. प्रतिवादिनी द्वारा अभिकथन किया गया है कि प्रतिवादिनी ने आराजी संख्या - 417 अ रकबा 0.080 हे० में से 44.80 वर्गमीटर जो उत्तर से दक्षिण 60 फिट लम्बा तथा पूरब से पश्चिम 8 फिट चौड़ा है स्थित मौजा पल्हाना उपरहार परगना व तहसील चायल जनपद कौशाम्बी का पंजीकृत बैनामा कराया है जिसकी चौहददी पूरब मोल्हड का मकान, पश्चिम गुलाब सोनी का मकान उत्तर महमूद हुसैन का मकान, दक्षिण मूरतगंज भरवारी रोड है। बैनामा दिनांक 24.01.2013 को उपनिबन्धक चायल कौशाम्बी के कार्यालय में प्रतिपुस्तक संख्या 1 के खण्ड सं० 813 के पृष्ठ संख्या 41-68 क्रमांक 182/2013 पर पंजीकृत है। प्रतिवादिनी का क्रयशुदा भूमि पर बैनामा की तिथि से कब्जा व दखल है। राजस्व अभिलेखों में भी प्रतिवादिनी का नाम दर्ज हो चुका है। आराजी संख्या 417 का कुल रकबा 16 बिस्वा 10 घूर है और मिनजुमला नंबर होने के कारण कई खातों में दर्ज है जिसमें आबादी व शामिल जोत सम्मिलित है। वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का कोई कब्जा व दखल नहीं है।

14. यहां भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 101 का उल्लेख किया जाना समीचीन होगा जो निम्नवत है-

*Section 101 Indian Evidence Act, 1872 -Whoever desires any Court to give judgment as to any legal right or liability dependent on the existence of facts which he asserts, must prove that those facts exist. When a person is bound to prove the existence of any fact, it is said that the burden of proof lies on that person.*

**Rangammal Vs. Kuppuswami, AIR 2011 SC 2344,** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि:-

"जब कोई व्यक्ति किसी तथ्य के अस्तित्व को साबित करने के लिए बाध्य होता है, तो कहा जाता है कि सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है। इस प्रकार, तथ्य को साबित करने का भार हमेशा उस व्यक्ति पर होता है जो इसे दावा करता है। जब

तक इस तरह के बोझ का निर्वहन नहीं किया जाता है, तब तक दूसरे पक्ष को अपना मामला साबित करने की आवश्यकता नहीं होती है।"

15. प्रस्तुत मामले में उभय पक्ष के उपरोक्त अभिकथन एवं दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से सर्वप्रथम यह तय किया जाना आवश्यक है कि क्या वादीगण स्वयं द्वारा बताई गई वादग्रस्त भूमि के मालिक व काबिज हैं? वादिगण द्वारा वाद पत्र में वर्णित विवादित भूमि पर अपने कब्जे व स्वामित्व का कोई श्रोत वर्णित नहीं किया गया है। मौखिक साक्ष्य के रूप में वादीगण की ओर से पी०डब्ल्यू०-1 जवाहरलाल ने अपनी प्रति परीक्षा में यह कथन किया है कि आराजी संख्या-417 का मैंने बैनामा कराया था व 419 का मैंने बैनामा कराया था। 419 का रकबा 30 वर्ग मीटर है। आराजी संख्या-417 व 419 मिलजुमला नंबर है। आराजी संख्या-417 में 20 लोगों का नाम दर्ज है। आराजी संख्या-417 में पूरे पर निर्माण है। 419 में कितने लोगों का नाम दर्ज है मुझे नहीं मालूम मेरा नाम है। आराजी संख्या -417 व 419 का सरकारी बंटवारा नहीं हुआ है। सावित्री देवी w/o मक्खनलाल को मैं जानता हूँ। सावित्री देवी ने 417 आराजी संख्या में बैनामा कराया है। सावित्री देवी ने जो बैनामा कराया है उस भूमि की चौहद्दी पूरब-419 है व सडक है व बाद में कहा कि पूरब मोल्हड का मकान है पश्चिम गुलाब चन्द्र का मकान है, उत्तर भटियारा का मकान है, दक्षिण 419 व सडक है। सावित्री देवी की जो जमीन है उसको मौके पर पहचाना जा जकता है। आराजी संख्या-417 व 419 की हदबन्दी नहीं कराई है। मैंने हदबन्दी नहीं कराई है इसलिये सीमा का पता नहीं है। 419 आराजी संख्या में खाली प्लाट पडा है। 417 में शिवराम, रामविशाल व राम प्रकाश व जवाहर लाल व संतोष कुमार मिलकर मकान बनवाए हैं। मेरी जानकारी में विवादित जमीन का नक्शा दाखिल किया गया है। उस नक्शे में विवादित जमीन की लम्बाई चौड़ाई भी लिखी हुई है।

16. इसी प्रकार पी०डब्ल्यू०-2 आशीष कुमार ने अपनी प्रति परीक्षा में यह कथन किया है कि झगडे वाली जमीन का 417 नम्बर है और 419 भी है। यह दोनों नम्बर मिनजुमला नम्बर है। 417 में कुल कितने खातेदार हैं मैं नहीं बता सकता हूँ। जवाहरलाल का दूसरे कास्तकारों के बीच बंटवारा नहीं हुआ है बल्कि संयुक्त खाते की जमीन है।

17. पी०डब्ल्यू०-03 सुभाष चन्द्र गुप्ता ने अपनी प्रति परीक्षा में यह कथन किया कि विवादित जमीन का नम्बर 419 व 417 है। जमीन 419 का रकबा मैं नहीं बता सकता। जमीन 417 का रकबा मैं नहीं बता सकता। दोनों आराजी को वादीगण ने खरीदा था। कब खरीदा था मुझे याद नहीं है। मुझे नहीं पता है कि आराजी संख्या - 419 में वादीगण का कितना हिस्सा है। आराजी संख्या-417 में भी कितना हिस्सा है

यह भी नहीं मालूम। विवादित आराजी का कोई बंटवारा नहीं है। विवादित आराजी की मैं लम्बाई व चौड़ाई नहीं बता सकता।

18. वादीगण द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा विवादित भूमि आराजी संख्या-417 मि0 रकबा 0.0070 हे0 व आराजी संख्या-419 मि0 रकबा 0.0030 हे0 दर्शाई गई है। साक्षी पी०डब्ल्यू०-1 व 2 द्वारा वादग्रस्त आराजियों को जरिये बैनामा प्राप्त करने का अभिकथन किया गया है किन्तु वादीगण द्वारा वाद पत्र में विवादित भूमि के बावत कोई स्वामित्व का श्रोत (Source of Title) नहीं बताया गया है। इस संबन्ध में वादीगण द्वारा वादग्रस्त सम्पत्ति के संबन्ध में कोई बैनामा भी प्रस्तुत नहीं किया गया है।

19. वादीगण द्वारा अपने कथनक के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में सूची 8 ग से उद्धरण खतौनी व खसरा दाखिल किया है। उक्त दस्तावेजी साक्ष्य की अनुप्रयोज्यता एवं महत्व के बारे में माननीय उच्च न्यायालय ने अपने विनिश्चय **Suraj Bhan Vs. Financial Commissioner, (2007) 6 SCC 186** के मामले में अभिनिर्धारित किया है कि-

“an entry in revenue records does not confer title on a person whose name appears in record-of-rights. Entries in the revenue records or jamabandi have only "fiscal purpose". So far as the title of the property is concerned, it can only be decided by a competent civil court.”

20. उक्त अभिधारणा को माननीय न्यायालयों द्वारा निम्न विनिश्चयों में अनुसरण किया गया है:-

**Suman Verma v. Union of India, (2004) 12 SCC 58; Faqrudin v. Tajuddin (2008) 8 SCC 12; Rajinder Singh v. State of J&K, (2008) 9 SCC 368; Municipal Corporation, Aurangabad v. State of Maharashtra, (2015) 16 SCC 689; T. Ravi v. B. Chinna Narasimha, (2017) 7 SCC 342; Bhimabai Mahadeo Kambekar v. Arthur Import & Export Co., (2019) 3 SCC 191; Prahlad Pradhan v. Sonu Kumhar, (2019) 10 SCC 259; and Ajit Kaur v. Darshan Singh, (2019) 13 SCC 70.**

माननीय न्यायालयों की उक्त वर्णित प्रतिपादना से यह स्पष्ट है कि राजस्व अभिलेखों में अंकित नाम स्वामित्व प्रदर्शित नहीं करता है।

21. पी०डब्ल्यू०-1 जवाहर लाल द्वारा अपनी प्रति परीक्षा में अभिकथित किया गया है कि 417 में 2 में कुल 20 लोगों का नाम दर्ज है। 419 में कुल कितने लोगों का नाम दर्ज है नहीं मालूम। आराजी संख्या-417 व 419 का सरकारी बंटवारा नहीं हुआ

है। पी०डब्ल्यू०-2 आशीष कुमार ने अपनी प्रति परीक्षा में अभिकथन किया है कि झगड़े वाली जमीन का 417 और 419 है। यह दोनों नम्बर मिनजुमला नम्बर हैं।

22. वादीगण की ओर से प्रस्तुत मौखिक साक्षियों के अभिकथनों से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजियों में कई सहखातेदार हैं। सहखातेदार के सम्बन्ध में अस्थाई निषेधाज्ञा के बिन्दु पर निम्नलिखित विधि व्यवस्थाओं का उल्लेख किया जाना प्रासंगिक है:

1- Bauram V/s Munni 2008 (28) LCD 1220 (AI).

2-Jahar Singh V/s Board of Revenue, 2005 (3) AWC2877(ALL)

3- Ajai Pal Singh V/s Shatia Bux Singh 2005 (2) AWC 2001 (All) (LB)

23. उक्त वर्णित सम्मानित विधि व्यवस्थाओं में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार माननीय न्यायालय का मत है कि विवादित सम्पत्ति पर सभी सहखातेदार का संयुक्त कब्जा होता है। ऐसे में किसी एक सहखातेदार के पक्ष में दूसरे सहखातेदार के विरुद्ध इम्तेनाई आदेश पारित नहीं किया जाना चाहिये।

24. इसके अलावा पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत आराजी संख्या - 417 व 419 मिनजुमला नम्बर से दर्ज हैं जिसके सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था हबीबुल्ला एवं अन्य बनाम मो० यासीन एवं अन्य द्वितीय अपील सं० 1956 वर्ष 1980 में यह विधि सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि उ०प्र० भूमि रेखा नियमावली के नियम क-64 में मिनजुमला नम्बरों का कोई चिन्ह मौका या नक्शा में नहीं पाया जाता है और न ही मौके पर मिनजुमला नम्बरों का कोई बंटवारा होता है।

**फूलमती देवी बनाम मानिक लाल, 2005(2) AWC 1823 (Allahabad)** में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह विधि सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि जहां पर विवादित सम्पत्ति की पहचान न हो सके वहां पर निषेधाज्ञा का अनुतोष नहीं प्रदत्त किया जा सकेगा। प्रस्तुत मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों में माननीय न्यायालय का उक्त विधि सिद्धान्त पूर्ण रूप से लागू होता है।

25. पी०डब्ल्यू०-2 ने प्रति परीक्षा में अभिकथन किया है कि जवाहर लाल (वादी) का दूसरे कास्तकारों के बीच बंटवारा नहीं हुआ है एवं संयुक्त खाते की जमीन है। ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता है कि कौन सा भाग वादग्रस्त भूमि में वादीगण का है।

26. वादीगण की ओर से वादग्रस्त भूमि में अपने कब्जे के बावत कोई नक्शा वाद पत्र के साथ दाखिल नहीं किया गया है। दोनों नम्बरान का कोई राजस्व मानचित्र नहीं है

एवं नम्बरों से यह भी स्पष्ट है कि इनके मध्य अन्य खाते भी स्थित हैं। आराजी संख्या-419 के कुछ अंश पर सडक पटरी होना भी उभय पक्षों को स्वीकृत है। वादीगण की ओर से वाद पत्र के प्रस्तर-06 में वादग्रस्त भूमि को आबादी में स्थित होना दर्शाया गया है किन्तु धारा-09 उ०प्र० जमींदारी उन्मूलन अधिनियम के तहत न विलय होने का अभिकथन है और न ही राज्य सरकार को पक्षकार बनाया गया है।

27. अतः उक्त समेकित तथ्यों से यह स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा अभिकथित वादग्रस्त भूमि निश्चित और पहचान योग्य नहीं है। वादग्रस्त मिनजुमला भूमि पर समस्त खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है एवं प्रतिवादिनी भी विवादित मिनजुमला नम्बर में सहखातेदार की हैसियत में है।

28. विवादित भूमि पर वादीगण को अपना कब्जा व दखल अपने स्वयं के साक्ष्य से साबित करना है। प्रतिवादिनी की कमियों का लाभ वादी नहीं ले सकता है। जिसे वादीगण अपने स्वयं के दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्यों से साबित नहीं कर सके हैं।

29. अतः उपरोक्त आधार पर वादीगण विवादित सम्पत्ति पर अपना कब्जा व दखल को साबित करने में असफल रहे हैं। अतः वाद बिन्दु संख्या-01 वादीगण के विरुद्ध निर्णीत किया जाता है।

#### निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 02-

30. वाद बिन्दु संख्या-02 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या वाद का मूल्यांकन कम किया गया है तथा क्या प्रदत्त न्यायशुल्क अपर्याप्त है?

31. उक्त वाद बिन्दु का निस्तारण मेरे विद्वान पूर्वाधिकारी महोदय द्वारा दिनांक 18.02.2017 को किया जा चुका है। उक्त आदेश इस निर्णय का भाग रहेगा।

#### निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 03-

32. वाद बिन्दु संख्या-03 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय को प्राप्त नहीं है?

33. उक्त वाद बिन्दु का निस्तारण मेरे विद्वान पूर्वाधिकारी महोदय द्वारा दिनांक 06.04.2017 को किया जा चुका है। उक्त आदेश इस निर्णय का भाग रहेगा।

#### निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 04:-

34. वाद बिन्दु संख्या 04 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या वादीगण का वाद आदेश 7 नियम 3 सी.पी.सी. से बाधित है?



35. उक्त वाद बिन्दु को साबित करने का भार प्रतिवादिनी पर है। प्रतिवादिनी ने अपने लिखित कथन कागज संख्या- 12 क की धारा-16 में यह कथन किया है कि वादी का दावा आदेश 7 नियम 3 सिविल प्रक्रिया संहिता से बाधित है।

36. यहाँ आदेश 7 नियम 3 सिविल प्रक्रिया संहिता का उल्लेख आवश्यक होगा, जो निम्नरूपेण है-

**जहाँ वाद की विषय-वस्तु स्थावर संपत्ति है** – जहाँ वाद की विषय-वस्तु स्थावर संपत्ति है वहाँ वादपत्र में संपत्ति का ऐसा वर्णन होगा जो उसकी पहचान कराने के लिए पर्याप्त है और उस दशा में जहाँ ऐसी संपत्ति की पहचान भू-व्यवस्थापन या सर्वेक्षण संबंधी अभिलेख में की सीमाओं या संख्याओं द्वारा की जा सकती है, वादपत्र में ऐसी सीमाएं या संख्यांक विनिर्दिष्ट होंगे।

37. उक्त वर्णित विधिक प्रावधान से यह स्पष्ट है कि आदेश 7 नियम 3 सी०पी०सी० के संबन्ध में वादपत्र में वर्णित सम्पत्ति को देखा जाना होता है, जिसको सीमाओं या संख्याओं के द्वारा उसकी पहचान की जा सके। वादीगण द्वारा वादपत्र में वादग्रस्त सम्पत्ति की संख्याओं आराजी संख्या-417 मि० रकबा-0.0070 हे० व आराजी संख्या-419 मि० रकबा-0.0030 हे० से प्रदर्शित किया गया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि दोनों आराजियात मिनजुमला हैं, जो राजस्व मानचित्र पर पृथक रूप से प्रदर्शित नहीं किये जा सकते हैं। वादीगण द्वारा वाद पत्र में वादग्रस्त सम्पत्ति की सीमाओं का भी वर्णन नहीं है। अतः उक्त वादग्रस्त सम्पत्ति पहचान योग्य नहीं है।

38. अतः वाद-बिन्दु संख्या-04 सकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

### निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 05-

39. वाद बिन्दु संख्या 05 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या **क्या** वादीगण का वाद आदेश 7 नियम 11 C.P.C. से बाधित है?

40. उक्त वाद बिन्दु को साबित करने का भार प्रतिवादिनी पर है। प्रतिवादिनी ने अपने लिखित कथन कागज संख्या- 12 क की धारा-17 में यह कथन किया है कि दावा वादीगण आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता से बाधित है।

41. उक्त वाद बिन्दु के सम्बन्ध में प्रतिवादिनी की तरफ से ऐसा कोई सारवान प्रलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह साबित हो कि आदेश-7 नियम 11 जा० दी० के प्रावधान से वादीगण का वाद बाधित है। प्रतिवादिनी ने प्रतिवादपत्र में यह नहीं बताया है कि आदेश-7 नियम 11 जा० दिवानी के किस उप-खण्ड (Sub clause) से प्रस्तुत वाद बाधित है और न ही इस पर बल दिया गया है। अतः उपरोक्त आधार वादीगण का वाद आदेश 7 नियम 11 सी० पी० सी० से बाधित होना नहीं पाया जाता

है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादिनी उक्त वाद बिन्दु को अपने पक्ष में साबित करने में असफल रही है।

42. अतः वाद बिन्दु संख्या-07 नकारात्मतः निर्णीत किया जाता है।

**निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 06:-**

43. वाद बिन्दु संख्या 06 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या दावा वादी धारा 34 व 41 विनिर्दिष्ट अनुतोष के प्रावधानों से बाधित है?

44. उक्त वाद बिन्दु को साबित करने का भार प्रतिवादिनी पर है। प्रतिवादिनी द्वारा लिखित कथन कागज संख्या-12 के प्रस्तर-18 में यह कथन किया है कि दावा वादीगण धारा- 34 व 41 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधि० से बाधित है।

45. उक्त वाद बिन्दु पर प्रतिवादिनी द्वारा कोई बल नहीं दिया गया है तथा न ही कोई सारवान साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्त वाद बिन्दु पर प्रतिवादिनी द्वारा बल न दिये जाने के कारण व साक्ष्य अभाव में प्रतिवादिनी अपने पक्ष में साबित करने में असफल रही है। वाद बिन्दु सं० 1 पर निष्कर्ष मेरे द्वारा दिया जा चुका है। उक्त वाद बिन्दु सं० 06 वाद बिन्दु सं० 1 में दिए गए निष्कर्ष के आधार पर ही देखा जाएगा।

46. तदनुसार वाद बिन्दु सं० 06 प्रतिवादिनी के विरुद्ध निर्णीत किया जाता है।

**निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 07:-**

47. वाद बिन्दु संख्या 07 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या वादीगण किसी अन्य अनुतोष को पाने के अधिकारी हैं?

48. उक्त वाद बिन्दु को साबित करने का भार वादीगण पर है। वादीगण ने अन्य किसी अनुतोष पर बल नहीं दिया था। मुख्य रूप से उनके अधिवक्ता ने स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष पर बल दिया था और बरवक्त निस्तारण वाद बिन्दु सं० 1 न्यायालय द्वारा यह पाया गया है कि वादीगण मुख्य अनुतोष स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादिनी के विरुद्ध पाने के अधिकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में न्यायालय द्वारा समग्र विश्लेषण पश्चात अन्य अनुतोष देने के क्रम में यह पाया जाता है कि वादीगण किसी अन्य अनुतोष को भी पाने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि वादीगण मुख्य अनुतोष को ही अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहे हैं।

49. माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा हबीबुल्लाह बनाम मो० यासीन आदि द्वितीय अपील संख्या 958 वर्ष 1980 निस्तारित 12 दिसम्बर 1994 के मामले में व Moran Mar Basselios Catholics & another V. Most. Rev. Mar Poulouse Athnnasina & others (A.I.R 1954 S.C. Page 526) के मामले

में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि विनिश्चय प्रतिपादित किया गया है वादी को अपना वाद स्वयं साबित करना होता है। वादी प्रतिवादी की कमियों का लाभ नहीं ले सकते हैं।

**50.** प्रस्तुत प्रकरण में उपरोक्त समस्त विश्लेषण पश्चात तथा वाद बिन्दु सं०-1 लगायत 07 पर दिए गए निष्कर्षों के पश्चात न्यायालय का मत है कि वादीगण वादग्रस्त सम्पत्ति पर अपना कब्जा व दखल साबित करने में असफल रहे हैं। वादीगण याचित अनुतोष के बावत अपना दावा अपने स्वयं के साक्ष्य से साबित करने में असफल रहे हैं। अतः वादीगण याचित अनुतोष को पाने के अधिकारी नहीं हैं। अतः दावा वादीगण विरुद्ध प्रतिवादिनी वास्ते स्थाई निषेधाज्ञा निरस्त किए जाने योग्य है।

**:-आदेश:-**

**51.** प्रस्तुत मूल वाद संख्या-376/2013 निरस्त किया जाता है। पक्षकार वाद-व्यय स्वयं वहन करेंगे।

दिनांक- 24.09.2022

(शिवेन्द्र शर्मा)

सिविल जज(क०श्रे०)/  
त्वरित न्यायालय-II,  
कौशाम्बी  
J.O. Code- UP3792

**52.** आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक- 24.09.2022

(शिवेन्द्र शर्मा)

सिविल जज(क०श्रे०)/  
त्वरित न्यायालय-II,  
कौशाम्बी  
J.O. Code- UP3792